

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 5/2026

रामदेव एवं एक अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राजा बाबू गुप्ता, विकास सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता , पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना।
2. पक्षकारों की सुनवाई और अभिलेखों के परिशीलन के बाद यह स्पष्ट है कि कोटेदार (यानी उचित मूल्य की दुकान के संचालक) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र दुकान का स्थान बदला गया है। अब, सरकारी नीति के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा निर्मित आधुनिक उचित मूल्य की दुकान से आम जनता को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना है।
3. याचिकाकर्ता एक ही गाँव के निवासी हैं। जहाँ तक उनके आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के अधिकार का संबंध है, वह अधिकार अप्रभावित हैं। शासनादेश के उल्लंघन के आरोप के संबंध में, यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जनहित याचिका में इस मामले में आगे कार्यवाही करने का कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारण नहीं है, विशेषकर इसलिए कि याचिकाकर्ता हमारे समक्ष आरोपों को हमारी संतुष्टि के अनुरूप सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहे हैं ताकि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकें।

4. वाद निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

6 जनवरी, 2026

एमवीएस